राज्य	खोली गई बैंक शाखाओं की संख्या
हरियाणा	27
हिमाचल प्रदेश	12
जम्मू एवं कश्मीर	3
कर्नाटक	42
केरल	36
मध्य प्रदेश	40
महाराष्ट्र	58
मेघालय	3
मिजोरम	1
उड़ीसा	17
पांडिचेरी	2
पंजाब	38
राजस्थान	33
सिक्किम	9
तमिलनाडु	54
त्रिपुरा	2
उत्तर प्रदेश	66
पश्चिम बंगाल	24
असम	1

जीवन बीमा निगम द्वारा आरम्भ की गई नई पालिसियां

1404. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम द्वारा गत एक वर्ष के दौरान कितनी और किस किस प्रकार की नई पालिसियां आरंभ की गई हैं; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जीवन बीमा निगम ने अपनी इन नई पालिसियों के अंतर्गत कितनी राशि का व्यापार किया है और कितने लोगों ने उक्त पालिसियों के अंतर्गत अपना बीमा कराया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा दो नई योजनाएं शुरू की गई थीं जो निम्नलिखित प्रकार है :—

(करोड़ रुपए)

योजना	*पालिसियों की संख्या	किए गए कारोबार की राशि
(i) जीवन सुरभि	2,59,057	1157.07
(ii) जीवन सुकन्या	33,640	151.90

*इन योजनाओं के अन्तर्गत बीमित व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

वित्तीय वर्ष 1993-94 में जीवन बीमा निगम ने 7-9-1993 से 30-11-1993 तक की अवधि के दौरान आशादीप नाम से एक एकल योजना (क्लोज एन्डिड प्लान) जारी की थी । इस योजना के अन्तर्गत जारी की गई पालिसियों की संख्या 4,43,168 है ।

उपर्युक्त योजनाओं की मुख्य विशेषताएं विवरण में दी गई हैं।

विवरण

पिछले एक वर्ष के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा जारी की गई नई योजनाओं की मुख्य विशेषताएं

पिछले एक वर्ष के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा जारी की गई नई योजनाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार हैं :—

जीवन सुरभि :

इस योजना के अंतर्गत पालिसी की अवधि और प्रीमियम अदायगी की अवधि के आधार पर तीन भिन्न-भिन्न श्रेणी वाली पालिसियों अर्थात् क्रमशः 15/12, 20/15 और 25/18 के अंतर्गत उत्तरजीविता लाभ और वृद्धि वाले

जोखिम कवच की व्यवस्था है । 1000 रुपए की मूल बीमित राशि के लिए जोखिम की राशि प्रत्येक 5 वर्षों के बाद 500 रुपए बढ़ जाती है । पालिसी की अवधि के दौरान मृत्यु हो जाने पर पालिसी की अवधि और मूल बीमित राशि पर निहित बोनस के आधार पर मूल बीमित राशि की अदायगी उसमें हुई वृद्धि, यदि कोई हो, के साथ की जाती है । प्रथम श्रेणी की पालिसियों के अंतर्गत देय उत्तरजीविता लाभ की राशि चौथे, आठवें और बारहवें वर्ष के अंत में क्रमशः 300 रुपये, 300 रुपए और 400 रुपए है । द्वितीय श्रेणी की पालिसियों के अंतर्गत ये लाभ चौथे, आठवें, बारहवें और पन्द्रहवें वर्ष के अंत में प्रत्येक के लिए 250 रुपए हैं और तीसरी श्रेणी की पालिसियों के अंतर्गत चौथे, आठवें, बारहवें, पन्द्रहवें और अठारहवें वर्ष के अंत में प्रत्येक के लिए 200 रुपए हैं ।

जीवन सुकन्या :

यह योजना बालिकाओं के लिए है। जोखिम की अवधि पालिसी के प्रारंभ होने की तारीख के दो वर्ष बाद अथवा बालिका (जो कि बीमित व्यक्ति है) की 7 वर्ष की आयु से, इसमें से जो भी परवर्ती हो, प्रारंभ हो जाती है । पालिसी की अवधि बीमित व्यक्ति के 50 वर्ष की आयु तक होगी । बीमित व्यक्ति का विवाह हो जाने की स्थिति में उसके जीवित रहने तक लेकिन अधिकतम उसकी 50 वर्ष की आयु तक उसके पति को भी मूल बीमित राशि पर जोखिम-कवच प्रदान किया जाता है । पालिसी की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर मूल बीमित राशि और बोनस की अदायगी की जाती है और पालिसी संबंधी संविदा समाप्त हो जाती है । प्रीमियम की अदायगी बीमित व्यक्ति की केवल बीस वर्ष की आयु तक करनी होती है । बीमित व्यक्ति के 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मूल बीमित राशि के समकक्ष राशि देय होती है । बीमित व्यक्ति के 50 वर्ष की आयु की परिपक्वता तक जीवित रहने पर निहित बोनस की अदायगी की जाती है ।

आशा दीप :

इस योजना के अंतर्गत इस मामले में लाभ की व्यवस्था है जब पालिसीधारक पालिसी की अवधि के दौरान चार बड़ी बीमारियों (अर्थात् कैंसर, पक्षाघात, गुरदों का काम न करना और हृदय-धमनी रोक जिसमें बाइ-पास सर्जरी की जरूरत हो) में से किसी एक बीमारी से ग्रस्त हो जाए । इन बड़ी बीमारियों से ग्रस्त होने पर जब दावा स्वीकार किया जाता है तब निम्नलिखित लाभ दान किए जाते हैं :–

(क) 50 प्रतिशत बीमित राशि की तत्काल अदायगी,

(ख) भविष्य में देय सभी प्रीमियमों को समाप्त करना;

(ग) पालिसी की अवधि पूरी होने तक अथवा बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने तक, इनमें से जो भी पहले घटित हो जाए, 10 प्रतिशत बीमित राशि की प्रतिवर्ष अदायगी,

(घ) परिपक्वता की तारीख को अथवा उससे पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर बीमित राशि की शेष 50 प्रतिशत राशि का पूर्ण बीमित राशि पर निहित बोनस सहित भुगतान ।

यदि पालिसीधारक एक सूचीबद्ध किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं होता है तो पालिसी के परिपक्व होने पर अथवा उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाने पर पूरी बीमित राशि और निहित बोनस की अदायगी की जाती है ।

इस योजना में प्रविष्टि की न्यूनतम और अधिकतम आयु क्रमशः 18 और 50 वर्ष है । परिपक्वता की अधिकतम आयु 65 वर्ष है । न्यूनतम और अधिकतम बीमित राशि क्रमशः 50,000 रुपए और 3,00,000 रुपए है । पालिसियां 15, 20 अथवा 25 वर्षों की अवधि के लिए जारी की जा सकती है ।